संख्या- 7/2019/503/53-2-19-2(38)/15

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशालाविकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजंहापुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ, कानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक- 16 अप्रैल, 2019

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम एवं वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान सं0-83

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 के पत्रांक-19/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-एससीपी/2019-20, दिनांक-03 अप्रैल, 2019 एवं पत्रांक-33/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-एससीपी/ 2019-20, दिनांक- 11 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/ सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी निवेश योजना चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्पेशल कम्पोनेन प्लान योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 211.18 लाख के सापेक्ष एकमुश्त धनराशि रू0 211.18 लाख (रूपये दो करोड ग्यारह लाख अ ठारह हजार मात्र) **संलग्नक** के अनुसार श्री राज्यपाल सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/ी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समसत व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(5) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/ पुनर्गठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(8) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(9) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइ http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(11) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघो के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/ परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/ पी0एल0ए0/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

(13) गत वित्तीय वर्ष 2017-18 व 18-19 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**'2404-डेरी विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)-27-सब्सिडी"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक- 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या- 7/2019/503(1)/53-2-2019, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडि॰ प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वरिष्ठ आडि॰ आफीसर (आडि॰ प्लानिंग) कार्यालय महा लेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्क रोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
15- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
16- वेबमास॰र, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइ॰ पर प्रदर्शित करने हेतु।
17- समाज कल्याण, बज॰ प्रकोष्ठ को उनके पत्र संख्या-07/26-ब0प्रा0-2015, दिनांक-27.03.15 के क्रम मे सूचनार्थ प्रेषित।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइ॰ http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- **7/2019** /503/53-2-19-2(38)/15, दिनांक 16 अप्रैल, 2019 का संलग्नक
वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना (एस0सी0पी0) धनराशि हजार रू0 में

क्र0	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/ का पदनाम	पशु स्वास्थय कार्यक्रम						कुल धनराशि
			डिवर्मिंग		थनैला		ि क कन्ट्रोल		
			भौतिक संख्या	धनराशि दर 20/-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 81/-	भौतिक संख्या	धनराशि दर 24/-	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	आगरा	दु0वि0अ0 आगरा	2546	50.920	504	40.824	1018	24.432	**116.176**
2	मैनपुरी	उप दु0वि0अ0 मैनपुरी	110	2.200	22	1.782	44	1.056	**5.038**
3	मथुरा	दु0वि0अ0 आगरा	4060	81.200	812	65.772	1624	38.976	**185.948**
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	700	14.000	140	11.340	280	6.720	**32.060**
	आगरा मण्डल		**7416**	**148.320**	**1478**	**119.718**	**2966**	**71.184**	**339.222**
5	अलीगढ़	दु0वि0अ0 मेरठ	5380	107.600	1076	87.156	2152	51.648	**246.404**
6	हाथरस	-तदैव-	1790	35.800	358	28.998	716	17.184	**81.982**
7	ए ा	-तदैव-	2950	59.000	590	47.790	1180	28.320	**135.110**
8	कासगंज	-तदैव-	980	19.600	196	15.876	392	9.408	**44.884**
	अलीगढ़ मण्डल		**11100**	**222.000**	**2220**	**179.820**	**4440**	**106.560**	**508.380**
9	झाँसी	उप दु0वि0अ0 झाँसी	4675	93.500	935	75.735	1870	44.880	**214.115**
10	ललितपुर	-तदैव-	3345	66.900	669	54.189	1338	32.112	**153.201**
11	जालौन(उरई)	उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई)	2820	56.400	564	45.684	1128	27.072	**129.156**
	झाँसी मण्डल		**10840**	**216.800**	**2168**	**175.608**	**4336**	**104.064**	**496.472**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	125	2.500	25	2.025	50	1.200	**5.725**
14	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	220	4.400	44	3.564	88	2.112	**10.076**
13	बाँदा	उप दु0वि0अ0 बाँदा	570	11.400	114	9.234	228	5.472	**26.106**
15	चित्रकू (कर्बी)	-तदैव-	90	1.800	18	1.458	36	0.864	**4.122**
	चित्रकूटधाम मण्डल		**1005**	**20.100**	**201**	**16.281**	**402**	**9.648**	**46.029**
16	लखनऊ	दु0वि0अ0 लखनऊ	62250	1,245.000	12450	1008.450	24900	597.600	**2851.050**
17	रायबरेली	-तदैव-	3875	77.500	775	62.775	1550	37.200	**177.475**
18	हरदोई	-तदैव-	4490	89.800	898	72.738	1796	43.104	**205.642**
19	उन्नाव	-तदैव-	4185	83.700	837	67.797	1674	40.176	**191.673**
20	सीतापुर	-तदैव-	6150	123.000	1230	99.630	2460	59.040	**281.670**
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपरु-खीरी	8585	171.700	1717	139.077	3434	82.416	**393.193**
	लखनऊ मण्डल		**89535**	**1,790.700**	**17907**	**1450.467**	**35814**	**859.536**	**4100.703**
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	4130	82.600	826	66.906	1652	39.648	**189.154**
23	बदाँयू	-तदैव-	15570	311.400	3114	252.234	6228	149.472	**713.106**
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0पीलीभीत	1305	26.100	261	21.141	522	12.528	**59.769**
25	शाहजहाँपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहाँपुर	3825	76.500	765	61.965	1530	36.720	**175.185**
	बरेली मण्डल		**24830**	**496.600**	**4966**	**402.246**	**9932**	**238.368**	**1137.214**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	19240	384.800	3848	311.688	7696	184.704	**881.192**
27	बागपत	-तदैव-	8250	165.000	1650	133.650	3300	79.200	**377.850**
28	गाजियाबाद	-तदैव-	685	13.700	137	11.097	274	6.576	**31.373**
29	हापुड़	-तदैव-	1600	32.000	320	25.920	640	15.360	**73.280**
30	गौतमबुद्धनगर(नोएडा)	-तदैव-	3830	76.600	766	62.046	1532	36.768	**175.414**
31	बुलन्दशहर	-तदैव-	11730	234.600	2346	190.026	4692	112.608	**537.234**
	मेरठ मण्डल		**45335**	**906.700**	**9067**	**734.427**	**18134**	**435.216**	**2076.343**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइ http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	9175	183.500	1835	148.635	3670	88.080	**420.215**
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	13390	267.800	2678	216.918	5356	128.544	**613.262**
34	शामली	-तदैव-	1170	23.400	234	18.954	468	11.232	**53.586**
	सहारनपुर मण्डल		**23735**	**474.700**	**4747**	**384.507**	**9494**	**227.856**	**1087.063**
35	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	17145	342.900	3429	277.749	6858	164.592	**785.241**
36	सम्भल	-तदैव-	4280	85.600	856	69.336	1712	41.088	**196.024**
37	अमरोहा	-तदैव-	10280	205.600	2056	166.536	4112	98.688	**470.824**
38	रामपुर	-तदैव-	3500	70.000	700	56.700	1400	33.600	**160.300**
39	बिजनौर	-तदैव-	21475	429.500	4295	347.895	8590	206.160	**983.555**
	मुरादाबाद मण्डल		**56680**	**1,133.600**	**11336**	**918.216**	**22672**	**544.128**	**2595.944**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	1815	36.300	363	29.403	726	17.424	**83.127**
41	चन्दौली	-तदैव-	4135	82.700	827	66.987	1654	39.696	**189.383**
42	गाजीपुर	-तदैव-	840	16.800	168	13.608	336	8.064	**38.472**
43	जौनपुर	-तदैव-	1310	26.200	262	21.222	524	12.576	**59.998**
	वाराणसी मण्डल		**8100**	**162.000**	**1620**	**131.220**	**3240**	**77.760**	**370.980**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	1040	20.800	208	16.848	416	9.984	**47.632**
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	5450	109.000	1090	88.290	2180	52.320	**249.610**
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	2255	45.100	451	36.531	902	21.648	**103.279**
	विंध्याचल मण्डल		**8745**	**174.900**	**1749**	**141.669**	**3498**	**83.952**	**400.521**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	5690	113.800	1138	92.178	2276	54.624	**260.602**
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	615	12.300	123	9.963	246	5.904	**28.167**
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	2510	50.200	502	40.662	1004	24.096	**114.958**
50	कुशीनगर	-तदैव-	1225	24.500	245	19.845	490	11.760	**56.105**
	गोरखपुर मण्डल		**10040**	**200.800**	**2008**	**162.648**	**4016**	**96.384**	**459.832**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	5690	113.800	1138	92.178	2276	54.624	**260.602**
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	1030	20.600	206	16.686	412	9.888	**47.174**
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	970	19.400	194	15.714	388	9.312	**44.426**
	बस्ती मण्डल		**7690**	**153.800**	**1538**	**124.578**	**3076**	**73.824**	**352.202**
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	4075	81.500	815	66.015	1630	39.120	**186.635**
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	865	17.300	173	14.013	346	8.304	**39.617**
56	बलिया	-तदैव-	14545	290.900	2909	235.629	5818	139.632	**666.161**
	आजमगढ़ मण्डल		**19485**	**389.700**	**3897**	**315.657**	**7794**	**187.056**	**892.413**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज	8540	170.800	1708	138.348	3416	81.984	**391.132**
58	कौशाम्बी	-तदैव-	3550	71.000	710	57.510	1420	34.080	**162.590**
59	फतेहपुर	-तदैव-	2925	58.500	585	47.385	1170	28.080	**133.965**
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	2180	43.600	436	35.316	872	20.928	**99.844**
	प्रयागराज मण्डल		**17195**	**343.900**	**3439**	**278.559**	**6878**	**165.072**	**787.531**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	1895	37.900	379	30.699	758	18.192	**86.791**
62	कानपुर देहात	-तदैव-	1260	25.200	252	20.412	504	12.096	**57.708**
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	4195	83.900	839	67.959	1678	40.272	**192.131**
64	कन्नौज	-तदैव-	3090	61.800	618	50.058	1236	29.664	**141.522**
65	औरैया	-तदैव-	585	11.700	117	9.477	234	5.616	**26.793**
66	इ□ावा	-तदैव-	880	17.600	176	14.256	352	8.448	**40.304**
	कानपुर मण्डल		**11905**	**238.100**	**2381**	**192.861**	**4762**	**114.288**	**545.249**
67	आयोध्या (फैजाबाद)	उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद)	19995	399.900	3999	323.919	7998	191.952	**915.771**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइ□ http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

68	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	17590	351.800	3518	284.958	7036	168.864	**805.622**
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	1120	22.400	224	18.144	448	10.752	**51.296**
70	अमेठी	-तदैव-	375	7.500	75	6.075	150	3.600	**17.175**
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	27480	549.600	5496	445.176	10992	263.808	**1258.584**
	अयोध्या मण्डल	अयोध्या मण्डल	**66560**	**1,331.200**	**13312**	**1078.272**	**26624**	**638.976**	**3048.448**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	25900	518.000	5180	419.580	10360	248.640	**1186.220**
73	बलरामपुर	-तदैव-	4485	89.700	897	72.657	1794	43.056	**205.413**
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	3470	69.400	694	56.214	1388	33.312	**158.926**
75	बहराइच	-तदैव-	7025	140.489	1414	114.534	2828	67.872	**322.895**
	देवीपाटन मण्डल		**40880**	**817.589**	**8185**	**662.985**	**16370**	**392.880**	**1873.454**
	कुल योग		**461076**	**9,221.509**	**92219**	**7469.739**	**184448**	**4426.752**	**21118.000**

(रूपये दो करोड ग्यारह लाख अ□ठारह हजार मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइ□ http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।